संख्या-234/2016/1129/22-2-2016-17(280)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2016***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद वर्तमान जिला कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3/(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू, निवासी ग्राम-शेखपुर, थाना-कमालगंज जनपद-फर्रूखाबाद हाल पता भगवतनगर सिंह, वार्ड नं0-25, इन्द्रानगर, थाना-गुरूसहायगंज, जिला- कन्नौज का रहने वाला है। हड्डी एवं जानवरों को खरीदने-बेचने तथा आम के बाग को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 25.06.1979 को अपरान्ह् लगभग 01:00 बजे लाठी, चाकू, एवं कांता से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 02 को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 148 के अन्तर्गत भा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 12-06-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2016 तक 18 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त की शासनादेश दिनांक 25.01.2000 को मुक्त हो चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, बन्दी जेल से रिहा होने पर पुन: अपराध कर सकता है, बन्दी के परिवार की दशा सामान्य है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू, निवासी जनपद-कन्नौज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमरूद्दीन (बन्दी संख्या-14571) पुत्र श्री मन्नू निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-234/2016/1129(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-234/2016/1129/22-2-2016-17(280)/2016

दिनांक 23 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू, निवासी ग्राम-शेखपुर, थाना-कमालगंज जनपद-फर्रूखाबाद हाल पता भगवतनगर सिंह, वार्ड नं0-25, इन्द्रानगर, थाना-गुरूसहायगंज, जिला- कन्नौज का रहने वाला है। हड्डी एवं जानवरों को खरीदने-बेचने तथा आम के बाग को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 25.06.1979 को अपरान्ह लगभग 01:00 बजे लाठी, चाकू, एवं कांता से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 02 को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबादद्वारा दिनांक 12-06-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2016 तक 18 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 09 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त की शासनादेश दिनांक 25.01.2000 को मुक्त हो चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, बन्दी जेल से रिहा होने पर पुन: अपराध कर सकता है, बन्दी के परिवार की दशा सामान्य है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू, निवासी जनपद-कन्नोज को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in